

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6892 /

जबलपुर, दिनांक 11 / 11 / 2025

II-13-52/25

श्री पर्वत सिंह चौहान, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31/08/2025 पर पात्रता अनुसार 172 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/6893 /

जबलपुर, दिनांक 11 / 11 / 2025

II-13-52/25

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ— इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2498/स्थापना/2025 इंदौर, दिनांक 12/09/2025 के संदर्भ में श्री पर्वत सिंह चौहान, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर का गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. सहायक अवकाश, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)